परिचय

राज्य के कृषकों को उचित गुणवत्ता का बीज उपलब्ध करवाने हेतु बीज अधिनियम 1966 की धारा 8 के अन्तर्गत राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था का वर्ष 1977 में गठन किया गया। राज्य सरकार द्वारा संस्था को जैविक उत्पादन के प्रमाणीकरण का दायित्व भी वर्ष 2004–05 में सोपा गया जिसके कारण संस्था का नाम बदलकर राजस्थान राज्य बीज एवं जैविक उत्पादन प्रमाणीकरण संस्था किया गया। संस्था की स्थापना के वर्ष में 50000 क्विंटल बीज प्रमाणित किया गया था। वर्तमान में प्रमाणीकरण कार्य में उल्लेखनीय वृद्धि करते हुये संस्था द्वारा वर्ष 2006–07 में 11,99,004 क्विंटल बीज प्रमाणित किया गया है।

उद्धेश्य

1. बीज अधिनियम, 1966 की धारा–5 के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किस्मों के निर्धारित मापदण्डों के अनुसार उच्च अनुवांशिक शुद्धता एवं भौतिक शुद्धता से युक्त व अकुरण क्षमता वाले तथा रोग/कीट रहित स्वस्थ बीजों को बीज प्रमाणीकरण के माध्यम से कृषकों को उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित करना।
2. भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किस्मों की सूचि का संधारण कर बीज उत्पादको व काश्तकारो को जानकारी उपलब्ध करवाना।
3. किसानो को प्रशिक्षण व प्रमाणीकरण के माध्यम से बीज उत्पादन प्रकिया की तकनीकी जानकारी उपलब्ध करवाना तथा प्रमाणित बीज की उपयोगिता की जानाकारी देकर प्रमाणित बीज के उत्पादन व उपयोग को बढाये जाने हेतु प्रोत्साहित करना।

बीज प्रमाणीकरण प्रकिया

1. **बीज उत्पादक कृषक/संस्था का पंजीयन**– कोई भी कृषक प्रत्येक फसल मौसम में बीज उत्पादन कार्यक्रम हेतु पंजीकरण फार्म 1–ए सीधे या सम्बन्धित बीज उत्पादन संस्था के माध्यम से प्रमाणीकरण संस्था के कार्यालय में निर्धारित शुल्क के साथ व निश्चित की गयी अन्तिम तिथि से पूर्व जमा करवा सकता है।

- संस्था इकाई कार्यालय में पंजीकरण फार्म की जॉच कर यदि कोई कमी हो तो सम्बन्धित उत्पादक को सूचित कर कमी पूरी करवायी जा सकती है।
- पंजीयन फार्म पर कृषक अपने हस्ताक्षर अथवा अॅगूठा निशानी लगायें एवं सभी विवरण पूर्ण व सही हो।

2. **खेत का चयन/पृथक्करण दूरी**–ऐसे खेत में बीज उत्पादन नहीं ले जहॉ पूर्व वर्ष के सीजन में वही फसल / किस्म बोई गई हो। बोने से पहले प्रत्येक फसल के लिए निर्धारित आवश्यक पृथक्करण दूरी की जानकारी प्राप्त करें एवं उसको ध्यान मे रखकर ही बीज उत्पादन की फसल की बुवाई करें।
3. **बीज स्त्रोत सत्यापन**–बोये गये बीज के खाली कट्‌टे, टैग एवं बिल को सम्भाल कर रखें एवं प्रथम निरीक्षण के समय खेत पर बीज के स्रोत सत्यापन हेतु आवश्यक रूप से दिखायें।
4. **प्रमाणीकरण हेतु क्षेत्र निरीक्षण**–प्रत्येक बीज उत्पादक के खेत पर खड़ी फसल में निर्धारित न्यूनतम बीज प्रमाणीकरण मानकों के अनुसार 2 से 4 निरीक्षण प्रमाणीकरण संस्था के अधिकारियों द्वारा बीज उत्पादक या उसके प्रतिनिधि के उपस्थिति में किये जाते है।

- खडी फसल में आवश्यक न्यूनतम पृथक्करण दूरी की जॉच की जाती है एवं अवांछित पौधे, अन्य फसल पौधे, रोग ग्रस्त पौधो की गणना कर उनको हटाये जाने के संबंध में निर्देशित किया जाता है।
- **फसल की रोगिंग**:–अवांछित पौधे अन्य फसल/किस्म के पौधे, संकर बीज उत्पादन में मादा पंक्ति के पराग झडने वाले एवं पराग युक्त मंजरी वाले पौधे निर्देशानुसार जड़ से उखाड़े। रोगग्रस्त पौधों को उखाड़कर नष्ट करदेवें।
- अन्तिम निरिक्षण पर यदि क्षेत्र न्यूनतम निर्धारित मानक के अनुसार पाया जाता है तो संस्था अधिकारी द्वारा निरीक्षण प्रपत्र में अनुमानित उपज का विवरण दिया जाता है।
- क्षेत्र निरीक्षण के आधार पर संस्था द्वारा सम्बन्धित बीज उत्पादक संस्था को मानक व अमानक क्षेत्र की सूची के साथ प्रत्येक कृषक के यहां उत्पादित होने वाली अनुमानित उपज की सूचना दी जाती है।

5. **फसल की कटाई**:– बीज में उचित नमी पर ही फसल काटे। बीज फसल की कटाई हारवेस्टर या कम्बाईन से नहीं करें, क्योंकि इससे बीज में मिश्रण हो सकता है।

- फसल को 2–3 दिन धूप मे सुखाकर थ्रेशर से धीमी गति (300से 400 आरपीएम) पर गहाई करना चाहिए। बडी पुली (30 से.मी. या उससे अधिक व्यास) लगाकर थ्रेशर की गति धीमी की जा सकती है ताकि बीज को कोई नुकसान न हो।
- बीज को साफ तारपोलिन पर सुखाएं। यदि बीज का दांत से दबाने पर कट की आवाज आए तो समझे कि बीज ठीक से सूख गया है।
- सूखे बीज को साफ स्वच्छ बोरों में भरे एवं बोरो पर फसल, किस्म, श्रेणी तथा पंजीयन कमांक/अपनी पहचान कोड आवश्यक रूप से अंकित कर विधायन केन्द्र पर पहुंचाऐं।

6. **रॉ बीज की प्राप्ति**–अनुमानित उपज के अनुसार रॉ बीज को उत्पादक संस्था के विधायन केन्द्र पर निर्धारित की गई तिथि से पूर्व जमा कराकर रॉ बीज प्राप्ति रसीद अवश्य प्राप्त करें। विधायन केन्द्र पर प्राप्त रॉ–बीज की सूचना प्रमाणीकरण संस्था को बीज उत्पादक द्वारा दी जानी होती है।
7. **बीज विधायन**– बीज उत्पादक संस्था द्वारा विधायन से पूर्व प्रत्येक कृषक को विधायन की सम्भावित तिथि से अवगत करवाया जाता है, जिससे विधायन के समय कृषक उपस्थित रह सके।

- निर्धारित तिथि तक प्राप्त रॉ–बीज का विधायन संस्था द्वारा पंजीकृत विधायन केन्द्रों पर संस्था के अधिकारियों की निगरानी में सम्पन्न करवाया जाता है।
- **बीज परीक्षण**–प्रत्येक कृषक के विधायित बीज को एक लॉट–नम्बर आवंटित किया जाता है एवं उसका नमूना लेकर जॉच हेतु परीक्षण प्रयोगशाला में भेजा जाता है।
- बीज परीक्षण प्रयोगशाला द्वारा बीज लॉट की अंकुरण क्षमता, भौतिक शुद्धता एवं रोग व कीटग्रस्तता तथा बीज में नमी की जॉच कर निर्धारित न्यूनतम प्रमाणीकरण मानकों के अनुसार बीज लॉट को मानक व अमानक घोषित करते है।

8. **आनुवांशिक शुद्धता की जॉच**– प्रत्येक आधार बीज एवं संकर प्रमाणित बीज के लॉट की आनुवांशिक शुद्धता हेतु ग्रो–आउट टेस्ट करवाया जाता है। ग्रो–आउट टेस्ट व बीज परीक्षण प्रयोगशाला की जॉच में मानक पाये जाने पर ही ऐसे बीज को प्रमाणीत किया जाता है।
9. **टैगिंग /लेबल/थैलियों की भराई**– मानक घोषित बीज लॉट की मात्रा को थैली/कट्‌टे में भरा जाता है। जिस पर उत्पादक संस्था का हरा लेबल तथा प्रमाणीकरण संस्था का प्रमाणित बीज में नीला व आधार बीज में सफेद टैग सिलकर प्रमाणीकरण संस्था की लैड सील लगा दी जाती है।
10. **बीज लॉट हेतु, बीज प्रमाणीकरण प्रमाण पत्र**–मानक पाये जाने पर बीज अधिनियम 1966 की धारा–9 के तहत ऐसे प्रमाणित व आधार बीज को प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाता है, जिसकी वैधता बीज परीक्षण प्रयोगशाला के परिणाम की तिथि से 9 माह तक होती है।
11. **प्रमाणित बीजो का विपणनः** ऐसे प्रमाणित बीजो का विकय बीज वितरक द्वारा कृषकों को किया जाता है।

बीज प्रमाणीकरण शुल्क

पंजीकरण शुल्क		
बीज उत्पादक संस्था	प्रथम पंजीकरण नवीनीकरण	रूपये 1000/– रूपये 750/– प्रति वर्ष
बीज उत्पादक किसान (प्रति सीजन)		रूपये 80/–
फार्म नंबर 1 की कीमत		रूपये 3 प्रति फार्म

क्षेत्र निरीक्षण शुल्क (प्रति एकड)		
फसल	आधार बीज	प्रमाणित बीज
स्वःपरागित फसलें	रूपये 80/–	रूपये 80/–
पर परागित फसलें	रूपये 90/–	रूपये 90/–
सब्जियॉ व मसाला फसलें	रूपये 100/–	रूपये 100/–
संकर कपास	150/एकड+ 5 रू. प्रति किलो	150/एकड+ 3 रू. प्रति किलो
संकर अरण्डी	150/एकड+ 5 रू. प्रति किलो	150/एकड+ 1.5 रू. प्रति किलो

बीज खरीदते समय ध्यान देवें –

1. बीज को कय करते समय दुकानदार /उत्पादक संस्था से विकय बिल आवश्यक रूप से प्राप्त करें।
2. टैग में अंकित बीज की वैद्यता दिनांक जरूर देखें।
3. टैग एवं सील के बिना प्रमाणीकरण वैद्य नही होता अतः कट्‌टे/ थैली पर टैग एवं लेबल विधिवत सिले हुए हो एवं बैग पर संस्था की मोहर युक्त सील लगी होने की पृष्टि कर लें। यह भी सुनिश्चित कर लें बैग/कट्‌टा फटा न हो तथा टैग पर दुबारा से सिलाई नही की गई हो।

बीज प्रमाणीकरण में विशेष ध्यान देने योग्य बातें –अवश्य करें–

- ❖ प्रजनक/आधार बीज का बिल प्राप्त करें। समय पर संस्तुति किस्म की ही बुवाई करें।
- ❖ बीज की वैलिडिटि अवश्य देखें। बुवाई में उपयोग किये गये बीज के खाली कट्टे/थैलियॉ, टैग व बिल को सम्हाल कर रखे व निरीक्षण के समय स्त्रोत सत्यापन हेतु अवश्य बतायें ।
- ❖ बुवाई के समय कृषि यन्त्रों की सफाई अवश्य करे जिससे किसी प्रकार का मिश्रण न हो।
- ❖ आवश्यक पृथक्करण दूरी बनाये रखें।
- ❖ पौधों की समुचित संख्या बनाने हेतु उचित बीज दर, कतार से कतार की व पौधे व पौधे की दूरी बनाये रखें।
- ❖ संकर बीज उत्पादन में नर–मादा पौधो की बुवाई में उचित अनुपात बनाये रखें व खेत के चारो तरफ आवश्यक नर पौधो की पंक्तियॉ रखे।
- ❖ समय–समय पर अवांछित, रोगग्रस्त, अन्य फसल व खरपतवार पौधो को निकालते रहे।
- ❖ प्रमाणीकरण संस्था द्वारा दिये दिशा निर्देशो का पालन करें।
- ❖ पृथक्करण व अन्य कारण से निरस्त फसल को अलग काटे ।
- ❖ अच्छी तरह पकने पर प्रमाणीकरण संस्था द्वारा दिये निर्देशो की पालना करते हुए फसल की कटाई करें ।
- ❖ निर्धारित अंतिम तिथि से पूर्व रॉ बीज विधायन केन्द्र पर पहुंचायें ।
- ❖ संकर बीज उत्पादन में नर पौधो की कटाई के बाद ही मादा पौधो की कटाई करें। मादा पौधो की अलग गहाई करें ।

कदापि न करें –

- ❖ बुवाई के समय बीज कम पड पाये तो अन्य स्त्रोत से बीज प्राप्त कर न मिलावे।इससे बीज में मिश्रण हो जाता है ।
- ❖ अवांछित/रोग ग्रस्त/अन्य फसल व खरपतवार पौधे काटे नही, उन्हे जड से उखाडे । इन पौधो को बाद के लिए नही छोडें ।
- ❖ रोग ग्रस्त पौधे खेत में ही नही डाले, उन्हे नष्ट कर दें ।
- ❖ बिना सफाई किये कृषि यन्त्रों का बुवाई/कटाई/गहाई में उपयोग नही करें।
- ❖ ऐसे खेत में बीज उत्पादन नहीं ले जिससे पूर्व वर्ष मे वही फसल/किस्म बोई गई हो ।
- ❖ मिश्रित खेती नही करे । प्रमाणीकरण संस्था से आवश्यक निर्देश प्राप्त करें।
- ❖ पुरानी बारदाना को काम में नही ले इससे मिश्रण होने की संभावना रहती है इन्हे उलट कर काम में ले सकते है।
- ❖ अधिक नमी पर फसल के रॉ बीज को बारदाना में न भरें।

	कार्यालय	पता	दूरभाष नंबर
1	निदेशालय, जयपुर	निदेशक, राजस्थान राज्य बीज एवं जैविक उत्पादन प्रमाणीकरण संस्था, पंत कृषि भवन, जनपथ, जयपुर।	0141–22271014, 2227315, 0141–2227456(फैक्स) 94133–85485
2	श्री गंगानगर	बीज प्रमाणीकरण अधिकारी 149–ब्लॉक , सुखाडिया सर्किल के पास, श्री गंगानगर।	0154–2470625 94133–85487
3	सूरतगढ	बीज प्रमाणीकरण अधिकारी औद्योगिक क्षेत्र, बीकानेर रोड, सूरतगढ, श्रीगंगानगर।	0159–220176 94133–85489
4	हनुमानगढ	उप बीज प्रमाणीकरण अधिकारी, 3/343,हाउसिंह बोर्ड कॉलानी, केशव नगर, हनुमानगढ जंक्शन।	01552–262457 94133–85490
5	कोटा	बीज प्रमाणीकरण अधिकारी, कारखाना बाग, पुलिस लाईन के पास, कोटा।	0744–2326518 94133–85488
6	जयपुर	उप बीज प्रमाणीकरण अधिकारी, कमरा नम्बर 333, पंत कृषि भवन, जनपथ, जयपुर।	0141–2227315 94133–85486
7	पीलीबंगा	उप बीज प्रमाणीकरण अधिकारी, महावीर जैन भवन के सामने, वार्ड नंबर 15, पीलीबंगा (हनुमानगढ)।	01508–233983 94133–85491
8	घडसाना	उप बीज प्रमाणीकरण अधिकारी, द्वारा–रसेवट ट्रेडिंग कम्पनी, 96–ए, नई मण्डी, हनुमान मन्दिर के पास, घडसाना (श्री गंगानगर)।	01506–220957 पी.पी. 94133–85492
9	भरतपुर	उप बीज प्रमाणीकरण अधिकारी, विजय नगर, सारस होटल के पास , भरतपुर	05644–225823 94133–85496
10	अलवर	उप बीज प्रमाणीकरण अधिकारी, 3/458, कॉला कुंआ, हाउसिंग बोर्ड, अलवर	0144–2344687 94133–85497
11	अजमेर	उप बीज प्रमाणीकरण अधिकारी, प्लाट नंबर 8 आदर्श नगर, पुलिस चौकी के सामने, अजमेर	0145–2440830 94133–85493
12	जोधपुर	उप बीज प्रमाणीकरण अधिकारी, 182–ए, पोलो–।।, पावटा, जोधपुर।	0291–2552891 94133–85494
13	चित्तोडगढ	उप बीज प्रमाणीकरण अधिकारी, एसटीएल भवन, निम्बाहेडा रोड, पो0ओचडी, चित्तोडगढ	01472–245880पीपी 94133–85495
14	बांसवाडा	उप बीज प्रमाणीकरण अधिकारी, बोरवट फार्म, दाहोद रोड, बांसवाडा।	02962–243210पीपी 94133–85498
15	खेरली	प्रभारी अधिकारी, आरएसएसओपीसीए, द्वारा–आशा अग्रवाल, वार्ड नंबर 16, पोस्ट आफिस के पास, खेरली (अलवर)।	01492–220381 94133–85499

राजस्थान राज्य बीज एवं जैविक उत्पादन प्रमाणीकरण संस्था

बीज प्रमाणीकरण हेतु कृषक मार्गदर्शिका

पंजीकृत मुख्यालय
पंत कृषि भवन, तृतीय मंजिल, जनपथ,
जयपुर–302005
दूरभाष : 0141–2227104
फैक्सः 0141–2227456
ई–मेलः dir_rssopca@rediffmail.com